भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2854

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2026

अंतरलिंगी व्यक्ति को एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता

2854. श्रीमती राजाथी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा, रोजगार, वंशानुक्रम और पहचान संबंधी दस्तावेज़ों तक पहुँच सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार जन्म से ही शारीरिक भिन्नताओं में अंतर के साथ पैदा हुए अंतरलिंगी व्यक्तियों की अलग पहचान, सुरक्षा और उन्हें सकारात्मक समर्थन व्यवस्था प्रदान करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने की योजना बना रही है; और

(ग) एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय के सदस्यों को भेदभाव, बिना सहमति के किए जाने वाले चिकित्सीय अंतःक्षेप और सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): शिक्षा, रोजगार, विरासत और पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों तक पहुंच सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए किए गए विशेष उपाय **संलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख): उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2026 में यथा संशोधित), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून में जन्म से शारीरिक भिन्नताओं वाले अंतरलिंगी व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों और अन्य अधिकारों तक पहुंच को सुगम बनाते हैं।

(ग): एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय के सदस्यों को भेदभाव, बिना सहमति के मेडिकल हस्तक्षेप और सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय संलग्नक में दिए गए हैं।

संलग्नक

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2854, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) औ (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

अलग-अलग सामाजिक क्षेत्रों में एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय के सदस्यों को भेदभाव, बिना सहमति के मेडिकल हस्तक्षेप और सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए किए गए विशेष उपाय इस प्रकार हैं:-

i. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की है कि मौजूदा नियमों के अनुसार, समलैंगिक संबंधों में रहने वाले पार्टनर को राशन कार्ड के लिए एक ही परिवार का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि राशन कार्ड जारी करने में समलैंगिक संबंधों वाले पार्टनर के साथ कोई भेदभाव न हो।

ii. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने एक एडवाइजरी जारी की है कि समलैंगिक समुदाय के लोगों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने पर कोई रोक नहीं है और साथ ही, खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामित करने पर भी कोई रोक नहीं है।

iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी संबंधित हितधारकों को पत्र जारी किए हैं। इन पत्रों में एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के कई उपाय करने को कहा गया है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता कार्यक्रम, कन्वर्ज़न थेरेपी पर रोक, लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी की सुविधा, पाठ्यक्रम में बदलाव, टेली-कंसल्टेशन की सुविधा, विभिन्न स्तर के कार्मिकोंयों को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना तथा नजदीकी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के उपलब्ध न होने पर शव का दावा करने की व्यवस्था करना।

iv. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 'स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय' ने राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और अन्य संबंधित पक्षों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र का उद्देश्य एलजीबीटीक्यूएआई+ समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को कम करना है।

v. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे शिशुओं/बच्चों के लिए चिकित्सा उपायों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें लिंग से जुड़ी बनावट में अंतर (इंटरसेक्स) की स्थिति होती है, ताकि वे बिना किसी जटिलता के शारीरिक रूप से सामान्य जीवन जी सकें। मंत्रालय समलैंगिक समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दिशानिर्देश पर काम कर रहा है।

vi. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समलैंगिक समुदाय के कारावास में मुलाकात के अधिकारों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। साथ ही, कानून-व्यवस्था से जुड़े उन उपायों के बारे में भी एडवाइजरी जारी की, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या दबाव का सामना न करना पड़े।

*****